न्यायालय– मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिकरण/अपर जिला जज कक्ष संख्या–1 कन्नौज।

एम0ए0स0पी0 सं0 02/18

श्रीमती मंजू देवी आदि बनाम अवधेश कुमार आदि।

<u>13.07.2019</u>

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में वास्ते आदेश नियत है। याची सं0 1 श्रीमती मंजू देवी पत्नी स्व0, नावालिग याचीगण याचिनी सं0 2 कु0 पल्लवी उम्र 8 वर्ष, याची सं0 3 प्रद्युमन कुमार उम्र 5 वर्ष, याचिनी सं0 4 कु0 कंचन उम्र 3 वर्ष व याची सं0 5 वीरेन्द्र कुमार तथा विपक्षी सं0 3 न्यू इण्डिया इं0कं0लि0 की ओर से प्रिट्रायल मीटिंग में दिनांक 12.07.19 को सुलहनामा 31ए प्रस्तुत किया गया कि उभय पक्षों के मध्य प्रतिकर याचिका सं0 2/18 श्रीमती मंजू देवी आदि बनाम अवधेश कुमार आदि में मु0 3,50,000 रूपये में सुलह हो गयी है। सुलहनामा तस्दीक कर स्वीकत किया जा चुका है। सुलहनामा के आधार पर प्रतिकर याचिका सं0 02/18 का निस्तारण किया जाता है। सुलहनामा की शर्तों से पक्षकार बाध्य होगें। सुलहनामा न्यायनिर्णयन का अंग होगा।

विपक्षी सं0 3 बीमा कम्पनी को आदेशित किया जाता है कि प्रतिकर की उक्त धनराशि मु0 3,50,000 रूपये आदेश की तिथि से एक माह के अंतर्गत चेयरमैन एम0ए0सी0टी0/ जिला जज कन्नौज के खाते में जरिये चैक जमा करे।

प्रतिकर की उक्त धनराशि मु0 3,50,000 रूपये में से याची सं0 5 वीरेन्द्र कुमार को मु0 **50,000** रूपये मिलेगें जो बाद उचित शिनाख्त उसके किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के खाते में देय होगें। नावालिग याचीगण 2 ता 4 कुमारी पल्लवी उर्म 8 वर्ष, प्रद्युमन कुमार उम्र 5 वर्ष व कुमारी कंचन उम्र 3 वर्ष प्रत्येक को मु0 **50,000–50,000** रूपये मिलेगें, जो उसकी संरक्षिका माता याचिनी सं0 1 श्रीमती मंजू देवी पत्नी स्व0 गुड्डू उर्फ रामप्रताप के माध्यम से नावालिग याचीगण 2 ता 4 के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि योजना के तहत जमा किये जायेगें, जिसका ब्याज समय–समय पर उनके खाते में मिलता रहेगा, जिसे नावालिग यााचीगण वयस्क होने पर प्राप्त करेगें। अवशेष धनराशि मु0 **1,50,000** रूपये याचिनी सं0 1 श्रीमती मंजू देवी पत्नी स्व0 गुड्डू उर्फ रामप्रकाश को उसके किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के खाते में बाद उचित शिनाख्त देय होगी। पत्रावली नियमानुसा दाखिल दफ्तर की जाये।

सदस्य एम0ए0सी0टी0/ ए0डी0जे0
कक्ष सं0 1, कन्नौज।